मिश्री देवी बनाम विमला मु.नं. 26/17

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 19.12.24 | पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेस्पोडेंटस की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही बहस दिनांक 16.1.25 को पेश हो। [signature]<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |
| 16.1.25 | पत्रावली पेश। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.1.25 को पेश हो। [signature]<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |
| | | न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * |
| 23.1.25 | पत्रावील पेश । अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature]<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |

## न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 26/2017

1 श्रीमती मिश्री देवी पत्नी श्रीराम उम्र 35 साल जाति गुर्जर निवासिनी ढाणी चेचीयान तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
2 सुशीला पुत्री श्रीराम उम्र 17 साल
3 ताराचन्द पुत्र श्रीराम उम्र 16 साल
4 इन्द्राज पुत्र श्रीराम उम्र 14 साल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती मिश्री देवी पत्नी श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी चेचीयान तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 विमला पुत्री श्रीराम पत्नी विनोद जाति गुर्जर निवासिनी ढाणी चेचीयान तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. हाल निवासिनी भादवाड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2 माया पुत्री श्रीराम पत्नी प्रकाश जाति गुर्जर निवासिनी ढाणी चेचीयान तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. हाल निवासिनी ढ़ाणी जोड़ा की तन भादवाड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
3 श्रीराम पुत्र प्रभू उर्फ प्रभात गुर्जर
4 घीसाराम पुत्र प्रभू उर्फ प्रभात गुर्जर
5 गुल्ला पुत्र प्रभू उर्फ प्रभात गुर्जर
6 हरीश चन्द्र पुत्र प्रभु उर्फ प्रभात गुर्जर
7 श्रीमती सुण्डी पत्नी शंकर लाल गुर्जर
8 श्रीमती अणची पत्नी श्योपाल गुर्जर
9 श्रीमती घीसी पत्नी लक्ष्मणराम गुर्जर
10 श्रीमती सुण्डी पत्नी सुलतानाराम गुर्जर
समस्त निवासीगण ढ़ाणी चेचीयान तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
11 पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
12 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 उप पंजीयक अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
14 केला पुत्री श्रीराम पत्नी विक्रम जाति गुर्जर निवासिनी ढाणी चेचीवाली तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोडेन्टस

विविध अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.04.2017 अदालत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बउनवानी प्रार्थना पत्र श्रीमती मिश्री देवी आदि बनाम श्रीराम आदि प्रार्थना पत्र संख्या 487/2016 प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील अ. धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थिति :

1. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 487/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खाता संख्या 454 के खसरा नम्बर 4560, 4606 खाता संख्या 494 के खसरा नम्बर 2840, 2841, 2852, 2853, 2854, 2855, 2858, 2859, 4372 खाता संख्या 495 के खसरा नम्बर 4515, 4516, 4517 खाता संख्या 496 के खसरा नम्बर 4543, 4544, 4545 खाता संख्या 505 के खसरा नम्बर 4529 खाता संख्या 518 के खसरा नम्बर 2806 खाता संख्या 519 के खसरा नम्बर 4549 खाता संख्या 521 के खसरा नम्बर 4343/1, 4558/1, 4619, 4620/2, 4563, 4620/1, 4566/1, 4619 वाके ग्राम पीथमपुरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां पैतृक है। पक्षकारों के पूर्वज प्रभु उर्फ प्रभात के नाम विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज रही है। अपीलांट का विवादित भूमि में जन्म से हक अधिकार है। उनके हक व हिस्से की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बिना विधिवत विभाजन के बेचान करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सीधा व भोला व्यक्ति है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 10 अपने बाहुबल व अपराध प्रवृति से दुर्भावना से प्रलोभन में रखते है जिनके डर से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 10 के पास ही अक्सर रहता है जिसे बहला फुसलाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 6 ने दिनांक 09.09.2016 को खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.33 हैक्टेयर सम्प्रर्ण का अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व 12 का हिस्सा शामिल कर रेस्पोडेन्ट संख्या 10 सुण्डी देवी पत्नी सुलतानराम गुर्जर के नाम उप पंजीयक नीमकाथाना के कार्यालय में विकय पत्र पंजीकृत करवाया है व इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 6 ने दिनांक 09.09.2016 को कृषि भूमि खसरा नम्बर 2855 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2859 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2458/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/2 यानी 0.6250 हैक्टेयर भूमि तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना का रेस्पोडेन्ट संख्या 8 अणची पत्नी श्योपाल गुर्जर के नाम उप पंजीयक नीमकाथाना के कार्यालय में पंजीकृत करवाया है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 6 ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 2855 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2859 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/2 का यानि 0.3750 हैक्टेयर का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 9 घीसी पत्नी लक्ष्मणराम के नाम उप पंजीयक नीमकाथाना के पक्ष में पंजीकृत करवाया है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 4 ने दिनांक 09.09.2016 को एक विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 10 सुण्डी देवी पत्नी सुलतानराम के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2853 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 4558/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/2 का खसरा नम्बर 4372 रकबा 0.25 हैक्टेयर में से रेस्पोडेन्ट संख्या 0.25 हैक्टेयर में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 6 का हिस्सा 1/2 का विक्रय पत्र उप पंजीयक नीमकाथाना के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया है तथाकथित उपरोक्त विक्रय पत्रों के आधार पर विक्रीत अविभाजित भूमियों का बेचान अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व 15 हिस्सा को शामिल कर उन्हें बेदखल करने की नियत से विक्रय पत्र पंजीकृत करवाये गये है जिनके आधार पर विक्रय पत्र के प्रतिफल की कोई राशि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को नही दी गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से अलग रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 के साथ रह रहा है व उसके प्रभाव में है उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर विक्रीत वादग्रस्त कृषि भूमियों का मौके पर कोई कब्जा नहीं दिया गया है और नहीं अविभाजित कृषि भूमियों का विक्रय पत्र के अनुसार मौके पर व्यवहारिक रूप से कब्जा दिया जाना संभव नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 6 को अपीलकर्ता के हिस्से कब्जे, काश्त की भूमियों का बिना विभाजन के उनके हिस्से की भूमियों का विक्रय करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ता 10 अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के परिवार के परिवारजन नहीं है जो तथाकथित विक्रय पत्रों के अनुसार अजनबी व्यक्ति है जिन्हें तथाकथित विक्रय पत्रों के अनुसार वादग्रस्त विक्रीत कृषि भूमियों में किसी प्रकार के अधिकार व खातेदारी हासिल नहीं हुई है। उक्त अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2, 15 वाद के अधिकारों के मुकाबले कल अदम बेअसर है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुवार विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय पारित कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खाता संख्या 454 के खसरा नम्बर 4560, 4606 खाता संख्या 494 के खसरा नम्बर 2840, 2841, 2852, 2853, 2854, 2855, 2858, 2859, 4372 खाता संख्या 495 के खसरा नम्बर 4515, 4516, 4517 खाता संख्या 496 के खसरा नम्बर 4543, 4544, 4545 खाता संख्या 505 के खसरा नम्बर 4529 खाता संख्या 518 के खसरा नम्बर 2806 खाता संख्या 519 के खसरा नम्बर 4549 खाता संख्या 521 के खसरा नम्बर 4343/1, 4558/1, 4619, 4620/2, 4563, 4620/1, 4566/1, 4619 वाके ग्राम पीथमपुरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुवार विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि धारा 212 के निस्तारण के लिए निर्धारित घटक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>
पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>
सीकर

निर्णय आज दिनांक 23.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर